रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/ आषाढ़ 17, 1937
No. 440] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASHADHA 17, 1937

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 547(अ).—कतिपय प्रारूप नियमों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप-धारा (2) के खंड (ख), (ड.), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), और (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के निम्नलिखित प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 112 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना देती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख को उक्त राजपत्र से युक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध थी;

(2) उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा जो उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए जाएं;

(3) आपत्तियां या सुझाव, संयुक्त सचिव (भूमि सुधार), भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, "जी" विंग, एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाएं, यदि कोई हो ।

अध्याय 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 है।

(2) ये उन मामलों में लागू होंगे जिनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) के अनुसार केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है।

(3) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा .- इन नियमों में जब तक कि अंतर्वस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"प्रशासक"** से अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) **"प्राधिकरण"** से अधिनियम की धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) **"आयुक्त"** से अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का राजस्व विभाग अभिप्रेत है;

(ङ) **"जिला कलक्टर"** से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसमें अपर कलक्टर और अधिनियम की धारा 3 के खंड (ड.) के उपबंध के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई भी अन्य अधिकार भी सम्मिलित है ;

(च) **"विशेषज्ञ"** से अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में यथा उपबंधित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) **"भूमि बैंक"** से अधिनियम की धारा 101 में यथा परिभाषित भूमि बैंक अभिप्रेत है;

(ज) **"रजिस्ट्रार"** से अधिनियम की धारा 55 में यथा उपबंधित रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(झ) **"सामाजिक लेखा परीक्षा"** से अधिनियम की धारा 44 और 45 में यथा उपबंधित सामाजिक लेखा परीक्षा अभिप्रेत है।

अध्याय 2

भूमि अर्जन के लिए अनुरोध

3. **भूमि अर्जन के लिए अनुरोध** .- (1) कोई भी अर्जक निकाय या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसके लिए भूमि अर्जित की जानी है, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्ररूप- 1 में संबंधित जिला कलक्टर को और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त को अनुरोध फाइल करेगा:

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;

(ii) परियोजना का मंजूरी पत्र;

(iii) अधिकार के अभिलेख की तीन प्रतियां और प्रभावित क्षेत्रों का राजस्व मानचित्र;

(iv) भूमि के वर्गीकरण की सूचना अर्थात् भूमि, सिंचित बहु-फसली या एकल फसली या बंजर भूमि आदि है;

(v) जिला कलक्टर द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना।

(2) सरकार के लिए अर्जन के मामले में अनुरोध, विभाग के संबंधित सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाएगा।

(3) यदि अनुरोध सरकार को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है तो कलक्टर द्वारा गठित अधिकारियों का दल अधिनियम की धारा 4 से धारा 10 तक किए जाने वाले व्यय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4. **अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलक्टर द्वारा कार्रवाई** .- (1),(क) अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन विभाग आदि के अधिकारियों की एक समिति गठित करेगा जो बंजर या शुष्क भूमि की उपलब्धता; प्रस्तुत विवरण की सत्यता और परियोजना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि अर्जित करने के संबंध में इस आशय की यह प्रारंभिक जांच करने के लिए अर्जक निकाय के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र का दौरा करेगी कि क्या अनुरोध अधिनियम के उपबंधों के असंगत है।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अधिकारियों की समिति अन्य मामलों के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित करेगी, अर्थात्:-

(i) इस आशय का मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होगा;

(ii) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक कोरा न्यूनतम क्षेत्र पूर्ण है;

(iii) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन करने पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है;

(iv) ऐसी कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई हो;

(v) पूर्व में अर्जित और अप्रयुक्त पड़ी भूमि, यदि कोई हो, ऐसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है, और इनके संबंध में सिफारिशे करेगी।

(2) (क) यदि जिला कलक्टर, उप-नियम (1) में उल्लिखित समिति की रिपोर्ट, उसके पास उपलब्ध अन्य जानकारी और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि अनुरोध अधिनियम के उपंबंधों के अनुरूप है, वह अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) में यथा परिभाषित अर्जन की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) के उप खंड (iv) की मद 'क' के अधीन प्रशासनिक लागत, अधिनियम की धारा 3(1) की मद (1) में यथा उपबंधित मुआवजे की लागत के 10 प्रतिशत की दर से होगी परन्तु यह रकम अधिकतम 5 करोड़ रूपये के अधीन होगी।

(ग) जिला कलक्टर, अर्जक निकाय को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने कार्यालय में अर्जन की प्राक्कलित लागत जमा करनें की सूचना देगा और अर्जक निकाय, जिला कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे जमा करेगा, जिसके बिना अधिनियम के अधीन प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाएगी।

(3) अर्जक निकाय, कलक्टर द्वारा तैयार अंतिम प्राक्कलन के बाद अर्जन की शेष लागत जमा करेगा और यदि प्राधिकरण या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी अतिरिक्त रकम का पंचाट दिया जाता है तो उसे यथा अपेक्षित तत्काल जमा किया जाएगा।

अध्याय 3

प्रारंभिक अधिसूचना और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

5. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन .- सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन पूरा होने और प्रभावित व्यक्तियों या ग्राम सभा, जैसा भी मामला हो, की सहमति प्राप्त करने के बाद, जब समुचि सरकार को यह प्रतीत हो कि भूमि की किसी भी लोक प्रयोजन के लिए किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है, तो **प्ररूप -2** में प्रारंभिक सूचना जारी की जाएगी।

(2) प्रारंभिक अधिसूचना, अधिनियम की धारा 11 में दिए गए रीति में प्रकाशित की जाएगी।

(3) प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति प्रभावित क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थानों पर चस्पा की जाएगी और ढोल बजाकर आम जनता को इसकी सूचना भी दी जाएगी और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(4) प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के पश्चात्, कलक्टर, निम्नानुसार यथा विनिर्दिष्ट दो माह की अवधि के भीतर भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के कार्य को पूरा करवाना सुनिश्चित करेगा:-

(क) मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियों का लोप करना;

(ख) मृत व्यक्तियों के विधिक वारिसों के नामों को प्रविष्टि करना;

(ग) भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्रीकृत संव्यवहारों जैसे विक्रय, दान, विभाजन आदि को प्रभावी बनाना;

(घ) बंधक की सभी प्रविष्टियों को भूमि अभिलेखों में प्रविष्टि करना;

(ङ) यदि उधार देने वाला अभिकरण, बंधक संपत्ति विलेख के रजिस्ट्रीकृत प्रतिहस्तांतरण के माध्यम से लिए गए ऋण के पूर्ण संदाय का पत्र जारी करती है तो बंधक की प्रविष्टियों का लोप करना;

(च) सभी विद्यमान विधियों के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करना;

(छ) सरकारी भूमि के मामले में आवश्यक प्रविष्टियां करना;

(ज) भूमि पर परिसंपत्तियों जैसे वृक्षों, कुंओं आदि के संबंध में प्रविष्टियां करना;

(झ) भूमि पर सहदायिकों की प्रविष्टियां करना;

(ञ) उगाई गई या बोई गई फसलों और ऐसी फसलों के क्षेत्र की प्रविष्टियां करना; और

(ट) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अन्य कोई प्रावेष्टि या अद्यतन करने का कार्य।

6. अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण .- प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित सभी शक्तियां होंगी।

7. आपत्तियों का निपटान .- (1) कलक्टर प्ररूप - 3 में एक नोटिस जारी करेगा और धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित सभी आपत्तियों पर सुनवाई करने और जांच करने के पश्चात् निर्णय के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व विभाग के सचिव को आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और कलक्टर की रिपोर्ट में अन्य के साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा:-

(क) इस आशय का मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होगा;

(ख) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र परियोजना के लिए आवश्यक कोरा न्यूनतम क्षेत्र पूर्ण है;

(ग) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन करने पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है;

(घ) ऐसी कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई हो;

(ङ) पूर्व में अर्जित और अप्रयुक्त पड़ी भूमि, यदि कोई हो ऐसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है, और इनके संबंध में सिफारिशे करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन की गई आपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के राजस्व विभाग के सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा।

8. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करना तथा जन सुनवाई .-

(1) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ऐसी प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर प्रभावित कुटुम्बों का सर्वेक्षण का संचालन कराएगा और उनकी जनगणना का कार्य का उपक्रम करेगा।

(2) प्रशासक द्वारा इस प्रकार प्रभावित कुटुम्बों के किए गए सर्वेक्षण और उनकी जनगणना में, अधिनियम के नियम 3 या धारा 10क के अधीन जहां कहीं लागू हो, वह सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर डाटा एकत्र करेगा और पंचायत तथा सरकारी अभिलेखों जैसे द्वितीयक स्रोतों से भी डाटा एकत्र करेगा और प्रभावित कुटुम्बों के द्वार पर जाकर और प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे की परियोजनाओं के मामले में स्थल दौरों द्वारा उस डाटा का सत्यापन करेगा।

(3) प्रशासक द्वारा तैयार प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में धारा 16 की उप-धारा (2) में उल्लिखित विवरणों के अलावा, निम्नलिखित विहित होगा:-

(i) कुटुम्बों की सूची जिनके विस्थापित होने की संभावना है;

(ii) प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे की सूची;

(iii) प्रभावित क्षेत्र में भू-जोतों की सूची;

(iv) वृक्षों, भवनों, भूमि या भवन, जिनका अर्जन किया जाना है, से सम्बद्ध अन्य अचल संपत्ति या परिसंपत्तियों की सूची;

(v) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या कारबार की सूची;

(vi) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों की सूची;

(vii) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, विकलांगों या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों जैसे उपेक्षित समूहों के व्यक्तियों की सूची;

(viii) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूरों की सूची;

(ix) प्रभावित क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की सूची।

(4) प्रशासक, व्यापक और विस्तृत प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करेगा और प्रभावित क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित व्यक्तियों को निम्नलिखित तरीके से प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया गया है, अर्थात्:-

(क) राजपत्र में।

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा ;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट के तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में ;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में जो विहित की जाए

(5) प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी तीन सप्ताह का अग्रिम सूचना देकर यथा विनिश्चित तारीख, समय और स्थान पर प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई आयोजित करेगा और जन सुनवाई से संबंधित तारीख 08.08.2014 के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात मूल्यांकन और सहमति) नियम, 2014 के नियम 8 के उपबंध, यथोवश्यक परिवर्तन सहित, इस मामले में भी जन सुनवाई पर लागू होंगे।

9. अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन - पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अधिनियम की धारा 18 में उपबंधित अन्य साधनों द्वारा इसे लोक करने के अतिरिक्त सहज दृश्य स्थानों पर चिपकाके प्रभावित क्षेत्रों में प्रकाशित करेगा और आयुक्त, अधिनियम की धारा 48 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानीटरी समिति को अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रकाशन की सूचना भी देगा।

10. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कुटुम्बों के लिए विकास योजना .-- (1) अर्जक निकाय की ओर से भूमि अधिग्रहण, जिसमें अधिनियम की धारा 41 के अधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कुटुम्बों की अस्वैच्छिक विस्थापन सम्मिलित हो, की परियोजना की बाबत तैयार की जाने वाली विकास योजना प्ररूप - 4 के अनुसार होगी।

(2) पुनर्वासन क्षेत्रों, जिनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां रह रही हों, को कलक्टर द्वारा समय-समय पर लिए गए विनिश्चय के अनुसार समुदाय और सामाजिक मेल-जोल के लिए नि:शुल्क भूमि मिलेगी।

अध्याय - IV

घोषणा, पंचाट और प्रतिकर

11. अर्जन के लिए घोषणा का प्रकाशन .- (1) धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित कलक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा जांच करने और आपत्तियों पर विनिश्चय करने के बाद, राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग के सचिव द्वारा प्ररूप - 5 में अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार के साथ भूमि के अर्जन की घोषणा की जाएगी।

परन्तु, ऐसी कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अर्जक निकाय ने भूमि के अर्जन की लागत के रूप में संपूर्ण रकम जमा न कर दी हो।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा धारा 19 की उप-धारा (4) के अधीन विहित रीति में, यथास्थिति पंचायत, मंडल, स्थानीय निकाय के क्षेत्र, जिसके अधीन प्रभावी क्षेत्र आता है, में, सहज दृश्य स्थानों पर स्थानीय भाषा में घोषणा की प्रति चिपकाके प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।

12. **भूमि अर्जन अधिनिर्णय.**—कलक्टर, धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित और दिए गए लोक सूचना के अनुसरण में, हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों, यदि कोई हो, की जांच करने और उनका निपटान करने के बाद प्ररूप - 6 के अनुसार अधिनियम की धारा 23 के अधीन भूमि अर्जन पंचाट देगा।

13. **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय** .- (1) कलक्टर, अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, प्ररूप - 7 में प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट भी देगा और प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को कुटुम्बवार पंचाट सौंपेगा।

(2) राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबंधों का प्रयोग करके झूठे दावे या धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से लिए गए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के किसी भी लाभ की वूसली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में तब की जाएगी जब उसे लौटाने से मना कर दिया गया हो।

(3) अधिनियम की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट बुनियादी ढ्रांचागत सुविधाओं और मूल न्यूनतम सुविधाओं की प्ररूप - 8 के अनुसार व्यवस्था।

14. **प्रतिकर** .- (1) प्रतिकर की गणना, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के साथ पठित धारा 26 से धारा 30 के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार की जाएगी और इसे संदत्त किया जाएगा।

(2) अधिनियम की दूसरी अनुसूची की मद 8 के अधीन कारीगरों, छोटे व्यापारियों और अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान कम से कम 25 हजार रुपये होगा।

(3) अधिनियम की दूसरी अनुसूची की मद संख्या 9 के अधीन सिंचाई या जल परियोजनाओं के मामलों में मत्स्य पालन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग या यथा अपेक्षित अन्य किसी भी सरकारी विभाग के परामर्श से उस तरीके को अधिसूचित किया जाएगा जिससे प्रभावित कुटुम्बों को मत्स्य पालन के अधिकार दिए जाएंगे।

(4) प्रतिकर का संदाय आदाता खाता चेक या इलेक्ट्रॉनिक में अंतरण से शीघ्र किया जाएगा।

(5) जब धारा 33 की उप धारा (1) के अधीन पंचाट में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त रकम अदा किया जाना सिद्ध किया जाता है और वह व्यक्ति उसे अदा की गई उपरोक्त अतिरिक्त रकम लौटाने से मना करता है तो राजस्व वसूली अधिनियम 1890 (1890 का 1) के उपबंधों का प्रयोग करके उस रकम को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और ऐसी कार्यवाही उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर आरंभ की जाएगी जिस तारीख को अतिरिक्त रकम का संदाय किया गया पाया गया हो।

15. **अधिनियम की धारा 46 के साथ पठित धारा 2 की उप धारा (3) के अधीन भूमि के क्षेत्र पर सीमा** .- भूमि के उस क्षेत्र पर सीमा, शहरी क्षेत्रों में 50 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 एकड़ होगी जिसके बाद निजी सौदे के माध्यम से विनिर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा खरीद के मामले में अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध लागू हो जाते हैं।

16. **भूमिहीन का अर्थ** .- "भूमिहीन" पद का वही अर्थ होगा जो, यथास्थिति, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन, द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

17. **ग्रामीण क्षेत्रों में गुणनखंड** .- ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गुणक द्वारा अधिनियम की धारा 30 की उप धारा (2) के साथ पठित प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 2 के स्तंभ सं0 3 के अनुसार बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है वह गुणक 2.00 (दो) होगा।

18. **अधिनियम की धारा 10क के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति** .-

संघ राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग के सचिव या केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग के संयुक्त सचिव को अधिनियम की धारा 10क के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति होगी।

19. किसी जिले में बोया गया निवल क्षेत्र जिसे अर्जित किया जा सकता है .- किसी जिले में सभी परियोजनाओं के लिए अर्जित कृषि भूमि का कुल क्षेत्र किसी भी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिश्चित क्षेत्र की सीमा से अधिक नहीं होगा।

20. किसी क्षेत्र में सिंचित बहु-फसलीय भूमि जिसे अर्जित किया जा सकता है .- किसी जिले में सभी परियोजनाओं के लिए अर्जित सिंचित बहु-फसलीय भूमि का कुल क्षेत्र किसी भी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिश्चित क्षेत्र की सीमा से अधिक नहीं होगा।

अध्याय V

प्रशासक और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति और राष्ट्रीय मानीटरी समिति

21. प्रशासक की शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारी .—प्रशासक निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा जिम्मेदारियां निभाएगा:-

(क) इन नियमों और अधिनिमय के अधीन यथा उपबंधित रीति से और समय के भीतर प्रभावित कुटुम्बों का सर्वेक्षण करना और उनकी जनगणना का कार्य करना;

(ख) प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करना;

(ग) इन नियमों के अधीन उपबंधित पद्धति से प्रारूप स्कीम प्रकाशित करना;

(घ) प्रारूप स्कीम को संबंधित व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाना;

(ङ) प्रारूप स्कीम पर जन सुनवाई आयोजित करना और संचालित करना;

(च) अर्जक निकाय को प्रारूप स्कीम के संबंध में सुझाव देने और टिप्पणियां करने का अवसर देना;

(छ) प्रारूप स्कीम को कलक्टर को प्रस्तुत करना;

(ज) अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को प्रभावित क्षेत्र में प्रकाशित करना;

(झ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट तैयार करने में कलक्टर की सहायता करना;

(ञ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट के कार्यान्वयन की मानीटरी और देख-रेख करना।

(ट) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन उपरांत लेखा परीक्षा में सहायता करना;

(ठ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य कोई भी कार्य।

22. परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति .—राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग का प्रधान सचिव अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की प्रगति और कार्यान्वयन की मानीटरी और समीक्षा करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के परामर्श से और, यथास्थिति, शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र, में कार्यान्वयन के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए परियोजना स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में एक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति गठित करेगा।

(2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में, समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :--

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि ;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक प्रतिनिधि ;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि ;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि ;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी ;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती ;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती ;

(ज) संबंधित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधान सभा का सदस्य या उनके नामनिर्देशिती ;

(झ) अर्जक निकाय का एक प्रतिनिधि ; और

(ञ) सदस्य-संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

(3) (क) समिति अपनी पहली बैठक तब करेगी जब प्रशासक द्वारा प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर ली गई हो।

(ख) समिति, स्कीम पर विचार-विमर्श करेगी और सुझाव के साथ सिफारिश देगी और तत्पश्चात समिति, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने तक मास में एक बार बैठक करेगी और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा और मानीटरी करेगी। कार्यान्वयन उपरांत सामाजिक लेखा परीक्षा करने के प्रयोजन से समिति तीन मास में एक बार बैठक करेगी।

(ग) समिति प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकती है और यदि वह चाहे तो प्रभावित कुटुम्बों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है और पुनर्वासन प्रक्रिया की मानीटरी करने के लिए पुनर्वासन क्षेत्र का दौरा भी कर सकती है।

(4) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों, यदि कोई हो, को केन्द्रीय सरकार के वर्ग-I अधिकारियों को देय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा।

23. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना .-

(1) समुचित सरकार, अधिनियम के अध्याय 8 के अधीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापित करेगी।

(2) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित) वहीं होंगी जो किसी जिला न्यायाधीश के लिए लागू हैं।

(3) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के रजिस्ट्रार को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित) वहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार के उप सचिव स्तर के अधिकारी के लिए लागू हैं।

(4) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित) वहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य अधिकारियों के लिए लागू हैं।

24. प्राधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया .—प्राधिकरण को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन सूचीबद्ध मामलों के अतिरिक्त, राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग के सचिव द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित अन्य किसी भी मामले के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

25. राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति की प्रक्रिया और इससे जुड़े विशेषज्ञों के भत्ते .—धारा 48 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानीटरी समिति, अधिनियम की धारा 18 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त द्वारा उक्त अनुमोदित स्कीमों के प्रकाशन के दो माह के भीतर परियोजनाओं के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरी करेगी और तत्पश्चात समिति की बैठकें पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरी करने के लिए तीन माह में एक बार आयोजित की जाएंगी।

(2) राष्ट्रीय मानीटरी समिति से सम्बद्ध गैर-सरकारी विशेषज्ञों को मुख्यालय से बाहर यात्रा के लिए भारत सरकार के वर्ग-I स्तर के अधिकारियों को देय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा।

अध्याय VI

प्रकीर्ण

26. भूमि को मूल भू-स्वामी को लौटाना .—(1) जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भी भूमि अर्जक निकाय द्वारा कब्जा लिए जाने की तारीख से किसी भी परियोजना की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट अवधि या पांच वर्षों, जो भी पश्चातवर्ती हो, तक अप्रयुक्त रहती है तो उसे उस अर्जक निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई थी, को नोटिस जारी करके और उसका पक्ष सुनने का अवसर देकर तथा इस प्रयोजनार्थ इस संबंध में जिला कलक्टर द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को या भूमि बैंक को लौटा दिया जाएगा।

(2) उपरोक्तानुसार, लिखित आदेश पारित करने के पश्चात जिला कलक्टर अधिनियम की धारा 104 में यथा परिभाषित अर्जित भूमि को, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके कानूनी वारिसों को लौटाने के प्रयोजन से उस भूमि का कब्जा लेगा।

(3) यदि अर्जक निकाय उक्त भूमि के कब्जे को कलक्टर को नहीं सौंपता है तो कलक्टर, अर्जक निकाय को पूर्व नोटिस देकर कब्जा लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की सहायता लेने के लिए सक्षम होगा।

[फा. सं. 13011/01/2015-एलआरडी]

हुकुम सिंह, संयुक्त सचिव

प्ररूप - 1

(नियम 3 देखें)

भूमि अर्जन के लिए अनुरोध

प्रेषक:

अर्जक निकाय का नाम और/या पदनाम

सेवा में,

1. जिला कलक्टर

जिला .....

2. आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

.....

..... एकड़ भूमि अर्जित किए जाने का अनुरोध है जिसके लिए ..... परियोजना/प्रयोजन और इसका ब्यौरा, अर्जित की जाने वाली भूमि को दर्शाते हुए संयुक्त नक्शे (मापने के लिए) की तीन प्रतियों के साथ उपाबंध (परिशिष्ट) I, II, III प्रस्तुत हैं।

परियोजना के प्रभावी रूप से विकसित होने की अवधि ..... वर्ष और .....महीने होगी। (केवल तभी लागू जब विकास अवधि 5 वर्ष से अधिक हो)

सामाजिक समाघात मूल्यांकन की लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत उपलब्ध है और इसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों में यथा प्रदत्त आपके द्वारा कभी भी मांगे जाने पर आपके कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र में सीमांकन किया गया था और आगे की सभी आवश्यक सूचना और सहायता आपके द्वारा नियत/निर्धारित तारीख/समय पर प्रदान करा दी जाएगी।

भवदीय,

अर्जक निकाय

उपाबंध - 1

परियोजना का नाम:-

(1) गांव का नाम

(2) मंडल का नाम

(3) नगर पालिका/नगर निगम का नाम

(4) जिले का नाम

(5) अर्जित की जाने वाली सर्वे संख्या

(6) अनुरोध के अधीन कुल क्षेत्र (हे./वर्ग मीटर में)

(7) अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाएं-

पूर्व-

पश्चिम-

उत्तर-

दक्षिण-

(8) कृषि और सिंचित बहु-फसली भूमि का क्षेत्र

(9) कृषि और सिंचित बहु-फसली भूमि को सम्मिलित करने के कारण

.....

.....

.....

(10) भवनों और अन्य संरचनाओं, टैंको, कूपों, वृक्षों आदि का ब्यौरा;

(11) अर्जन के लिए धार्मिक भवनों श्मशान घाटों या मकबरा, आदि, यदि कोई हो, को सम्मिलित करने के कारण।

अर्जक निकाय

उपाबंध - 2

परियोजना का नाम:-

1. विभाग या सरकार या कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, संस्था:
2. अर्जक निकाय का शासकीय पदनाम:-
3. अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रूप से) :-
4. क्या सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2(1) के अधीन अपने उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए अनुरोध किया गया है ?
5. क्या अधिनियम की धारा 2(1) (क) से धारा 2 (1) (च) के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है ?
6. क्या अधिनियम की धारा 2(2) (क) या (ख) के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है ?
7. अधिनियम की धारा 3(ग) (i) से (vi) के अधीन उल्लिखित अनुसार कितने कुटुम्ब प्रभावित हैं।
8. क्या अधिनियम की धारा - 40 के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है।

9. यदि हां, तो किस आधार पर ?

10. क्या परियोजना के लिए भूमि को निजी बातचीत द्वारा स्वामियों से अंशत: क्रय किया गया है ?

11. यदि हां, तो किस तारीख को और किन निबंधनों पर (कृपया बातचीत के निबंधनों का संक्षिप्त उल्लेख करें तथा इसकी प्रतिलिपि संलग्न करें)।

12. सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत होने की तारीख (प्रति संलग्न करें)

13. यदि अनुरोध, परियोजना के प्रशासनिक अनुमोदन के छह सप्ताह के पश्चात फाइल किया गया है, तो अनुरोध फाइल करने में हुए विलम्ब के कारण।

14. भूमि पर कब्जा कब तक अपेक्षित है।

अर्जक निकाय

उपाबंध - 3

अर्जक प्राधिकरणों द्वारा भूमि के अर्जन के लिए अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम

(1) प्रमाणित किया जाता है कि वह परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जित किए जाने की मांग की गई है, उस पर अधिनियम के अधीन अर्जन के लिए तारीख ..... के विभागीय पत्र ..... के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है (पत्र की प्रति संलग्न है)।

(2) परियोजना की अनुमानित लागत ..... रुपये है और आवश्यक बजट की मंजूरी दे दी गई है और अर्जन की लागत के लिए निधियां उपलब्ध हैं।

(3) विभाग, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय और जब कभी कलक्टर/जिला कलक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, डिक्री के मामले में संपूर्ण रकम का संदाय करने की वचनबद्धता प्रकट करता है।

अर्जक निकाय

प्ररूप 2

[नियम 4 और धारा-11(1) देखें]

प्रारंभिक अधिसूचना

सं. तारीख.....

कलक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए .....ग्राम.....मंडल.....जिले में कुल ..... एकड़ भूमि अपेक्षित है, अर्थात ..... सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है):-

.....

भूमि अर्जन के कारण कुल..... (संख्या) कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है।